



बिहार लोक सेवा आयोग,  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800001

**आवश्यक सूचना**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 07/2022 (सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजी.) के लिखित परीक्षा में सफल मूक बधिर (DD) एवं अस्थि (चलन) बाधित (OH) उम्मीदवारों की दिव्यांगता जाँच मेडिकल बोर्ड द्वारा दिनांक 14.10.2023 को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में की जानी है।

निम्नांकित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14.10.2023 के पूर्वाह्न 09:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर दिव्यांगता सम्बन्धित स्वास्थ्य जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे:-

Sl. No.	REGN. NO.	ROLL No.	NAME
1.	202207005361	700006	AJEET PANDEY
2.	202207002959	700014	RAJANISH KUMAR
3.	202207002433	700457	MR SANTOSH KUMAR
4.	202207001942	700461	NIRAJ NIRMAL
5.	202207003645	700463	DEEPENDRA KUMAR JHA
6.	202207000122	700464	DHEERAJ KUMAR PUSKAR
7.	202207005448	700465	LAKHINDRA MAHTO
8.	202207005776	700921	KOMAL GUPTA
9.	202207000383	700925	MD ZAHID
10.	202207004828	701375	MUKESH KUMAR GUPTA
11.	202207001900	701801	RITESH KUMAR RAVI
12.	202207000460	701805	IMAM SALEHEEN HARISH
13.	202207000207	701807	SUBODH KUMAR

उपरोक्त वर्णित सभी उम्मीदवार अपने साथ ई-प्रवेश पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगता का दावा करने वाले) से संबंधित कागजात की मूल प्रति एवं छायाप्रति आयोग कार्यालय में लाना सुनिश्चित करेंगे।

नोट:-

1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।) द्वारा निर्गत। दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
2. अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।
3. बिहार राज्य से बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रारूप में बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे।
4. उपर्युक्त वर्णित अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि को जाँच के लिए अनुपस्थित पाये जायेंगे तो उनके लिए अन्य तिथि निर्धारित नहीं किया जायेगा। अनुपस्थित होने पर दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थी का दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इसके पश्चात् स्वास्थ्य जाँच हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

dam  
5/10/23

परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना